न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 180/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. नाथू पिता वाला जी गायरी, निवासी कालारोही, पंचायत सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती चम्पाबाई विधवा वाला जी गायरी, निवासी कालारोही, पंचायत सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता लाला जी गायरी, निवासी कालारोही, पंचायत सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मृतक दूदा पिता भैरा जी गायरी के बजाय :–

2/1. रामलाल उर्फ रामा पिता स्वर्गीय दूदा जी गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. उंकार पिता स्वर्गीय दूदा जी गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. बंशीलाल पिता स्वर्गीय दूदा जी गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती टमु पुत्री स्वर्गीय दूदा जी पत्नी मोहन जी गायरी, निवासी कालारोही, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/5. श्रीमती अमरी पुत्री स्व. दूदा जी पत्नी स्व. रूपलाल गायरी, निवासी ढ़ीकली गायरियों का मोहल्ला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. विजेन्द्र नारायण नागदा पिता माना जी नागदा, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती उमा नागदा पत्नी विजेन्द्र जी नागदा, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. विजय नागदा पिता विजेन्द्र जी नागदा, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 18.09.2017, प्र.सं. 68/05

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक रेस्पो. 1, 4, 5, 6
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. 3

---:::---

निर्णय **दिनांक 16–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा, 88, 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्राम कालारोई के निवासी होकर इनकी भूमियां ग्राम सीसारमा में वाद पत्र की कलम संख्या 2 की परिशिष्ट ''अ'' में कुल किता 5 रकबा 2.9400 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमियों मे से आराजी नंबर 1369 रकबा 0.6400 हैक्टर का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विजेन्द्र नारायण पिता मानालाल नागदा व श्रीमती उमा पत्नी विजेन्द्र नागदा का कर दिया है, जिससे अब उक्त परिशिष्ट में भूमि 2.3000 हैक्टर शेष रही, जब उक्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा अर्थात 1.4700 हैक्टर था एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा अर्थात 1.4700 हैक्टर था, इसलिए अब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 0.6400 हैक्टर भूमि विक्रय कर दिये जाने से उनके खाते में शेष रही भूमि 0.8300 हैक्टर है। इसी प्रकार मौजा सीसारमा में वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित परिशिष्ट ''आ'' की कुल किता 10 रकबा 1.8750 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा अपने पिता लाला के समय से व 1/3 हिस्सा मन्ना पिता उदा जो कि उनके चाचा थे, से प्राप्त हुआ है तथा वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या

4 अनुसार है, जिसके अनुसार मूल पुरूष उदा जी के दो पुत्र लाला व मन्ना हुए। लाला के दो पुत्र बंशीलाल व वाला हुआ। वाला अपनी मां के साथ गेलड़ आया तथा वाला के वारिस वादीगण हैं। लाला का स्वर्गवास 1993 में तथा लाला की पत्नी भागु का स्वर्गवास 1998 तथा वाला का स्वर्गवास 1994 में हुआ। लाला ने वाला को अपना पुत्र मानकर रखा तथा उसकी शादी करवायी तथा लाला की मृत्यु के अंतिम समय तक वाला लाला के साथ ही रहा। गायरी समाज में यह परिपाटी रही है कि जब कोई व्यक्ति नाता लाता है तो उसके साथ जो औलाद आती है उसकी सारी जिम्मेदारी नाता लाने वाले व्यक्ति पर होती है। इस संबंध में लाला ने अपनी जीवनकाल में दिनांक 28—05—1975 को अंतिम इच्छा पत्र वाला एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा अपनी पत्नी के नाम सम्पादित की। जहां तक आबादी भूमि का प्रश्न है, मकानों का विभाजन लाला के जीवनकाल में ही बंशीलाल व वाला के मध्य कर दिया गया था एवं उसी अनुसार दोनों काबिज हैं। वादीगण अशिक्षित होकर उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया गया कि अंतिम इच्छा पत्र अनुसार भूमि में विधिवत हिस्सा है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने जानकारी होते हुए भी भूमियां विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया। अतएवं निवेदन कि वाद पत्र की परिशिष्ट ''अ'' की भूमियों में वादीगण 1/2 हिस्से का तथा परिशिष्ट ''आ'' की भूमियों में 1/6 + 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जाकर अन्य विधिक अनुतोष भी दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों में वादीगण कोई हक व हिस्सा नहीं है न ही उनका कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 ही कथित भूमि के मालिक एवं काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी नंबर 1369 का जो कुलिया हिस्सा विक्रय किया गया है, उसमें वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा वाद वर्णित शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की होकर वह ही काबिज है। वादी के पिता वाला बाकडा आये, जिससे उनका लाला की जायदाद में कोई हक हिस्सा नहीं है। बंशीलाल ही लाला का एक मात्र लड़का है। वाला व लाला का संयुक्त परिवार नहीं है। लाला ने अपनी जायदाद की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के हक में की है तथा मन्ना ने भी अपनी कुलिया जमीन की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की है।

लाला व मन्ना का एक मात्र प्राकृतिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 होकर वह ही उक्त भूमियों का मालिक काबिज है। गायरी समाज में गेलड पुत्र को नाते लाये गये पिता की सम्पत्ति प्राप्त होने की कोई परम्परा नहीं है। वादीगण किसी प्रकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

वादीगण ने जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लाला ने विधिवत इच्छा पत्र वाला के पक्ष में निष्पादित किया है, जिसके आधार पर वाला अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हुए एवं उसकी मृत्यु पश्चात् वादीगण काबिज चले आ रहे हैं। भूमि का निरीक्षण करने पर भी कब्जे के तथ्य स्पष्ट हो सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। लाला जी के जीवनकाल से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त परिवार रहा है। वादीगण लाला की अंतिम इच्छा पत्र अनुसार विधिक खातेदार हैं।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 7 तनकियात कायम की :–

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 2 ''अ'' वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की होकर वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है एवं परिशिष्ट ''आ'' में अंकित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की होकर वादीगण का 1/6 हिस्सा निहित है, तद्नुसार घोषणा कराने के अधिकारी हैं ? .... वादीगण

2. आया आया उपरोक्त वर्णित 2 ''अ'' में अंकित भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से में से आराजी नंबर 1369 का विक्रय कर दिया। उक्त रकबा परिशिष्ट ''आ'' में शेष बची भूमि के रकबे में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय किया गया रकबा बाद कर वादीगण परिशिष्ट ''अ'' की भूमियों के विभाजन करने के अधिकारी हैं ? .... वादीगण

3. आया वाद की कलम संख्या 4 के अनुसार के अनुसार वादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों भ्राता हैं, जिनके पिता स्वर्गीय

लाला जी ने अंतिम वसीयत दिनांक 28–05–1975 की गई, जिसका दावे पर क्या असर है ? .... वादीगण

4. आया वाला लाला जी का सगा पुत्र नहीं होकर बाकड़ा लड़का है। इस कारण लाला की सम्पत्ति में किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं हैं इसलिए वादी का वाद निरस्त योग्य है ? .... प्रतिवादी

5. आया लाला, भागु व मन्ना ने अपनी सम्पत्ति की वसीयत प्रतिवादी नंबर 1 को करने के कारण व नेचुरल वारिस के आधार पर भी प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक होता है ? .... प्रतिवादी

6. आया वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादीगण का कब्जा नहीं होने से कब्जे के अभाव में वाद मेन्टेनेबल नहीं है ? .... प्रतिवादी

7. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 18–09–2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 4, 5 व 6 की ओर से वकील श्री अरूण व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होकर संवेदना पर आधारित है। अधिनस्थ

न्यायालय में जो लिखित बहस अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी, उसके बारे में कुछ भी अपने निर्णय में वर्णित नहीं किया है तथा पेश शुदा न्यायिक नजीरों को भी नहीं माना है। विधि का यह अत्यन्त ही स्पष्ट प्रावधान है कि वाद में किये गये अभिवचनों का आदेश 8 नियम 5 एवं आदेश 8 नियम 3 के अनुसार स्पष्ट एवं विशिष्ठ तौर पर अगर खण्डन नहीं किया गया है तो वह तथ्य स्वीकृत माना जाता है और उसके सन्दर्भ में धारा 58 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर स्वीकृत तथ्य को साबिक करने के लिए गवाह की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। अपीलान्ट ने वाद पत्र की कलम संख्या 6 में लाला की अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 28–05–1975 का वर्णन किया है, जिसके आधार पर वादीगण का 1/2 हिस्सा है, जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है इस प्रकार उक्त वसीयत अस्तित्व और निष्पादन को होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत को साबिक कराने के लिए किसी गवाह की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकियों का निर्णय सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के कथनों को आधार बनाकर किया है, अपीलान्ट/वादीगण द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों व बयानों पर कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत में कांट–'फांस एवं आराजी नंबर 903 लिखा होने की बात भी कही है और यह आधार लिया कि सन् 1975 में 903 नये नंबर थे ही नहीं, इससे वसीयत संदेहास्पद हो जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन काल्पनिक व मनमाना है, क्योंकि अगर 903 को ध्यान से देखें तो वहां 1/3 लिखा हुआ था, जिसे एक लाईन खींचकर 9 बनाकर छोटा सा बिन्दु बीच में लगाया गया है। वादी/अपीलान्ट को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी न ही प्रतिवादी ने ऐसी किसी कांट फांस का अपने जवाबदावे में वर्णन किया है। यहां तक कि बयानों में भी किसी तरह का सवाल नहीं पूछा। जब इस प्रकार की कोई प्लीडिंग्स ही नहीं है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय किया जाना विधिक नहीं है। बंशीलाल ने अपने बयान के शपथ पत्र में दिनांक 28–05–1975 की लिखतम को स्वीकार किया है एवं उसे प्रदर्श 7 भी अंकित किया है, लेकिन उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। बंशीलाल ने अपने जवाबदावे में लाला द्वारा उसके पक्ष में वसीयत किये जाने का कथन किया है, लेकिन वसीयत की कोई दिनांक एवं किसी प्रकार का विवरण अपने जवाबदावे में नहीं किया है, न ही वसीयत में कौन सी सम्पत्ति उसे दी गयी इसका वर्णन

किया है। इस प्रकार उसकी वसीयत किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है। वसीयत के आधार पर कोई म्यूटेशन नहीं खुला है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कपोल कल्पित आधार पर पूर्व मानसिकता के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में वस्तुतः जो कुल तनकियात कायम हुई हैं, उन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा तनकीवार आपत्ति का विवेचन अंकित नहीं किया गया है इसलिए हम इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर ही जो अपीलान्ट द्वारा वर्णित की गयी हैं, उन पर विवेचन किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण में निर्णय करने से पूर्व हम इस प्रकरण को संक्षेप में उद्धृत करना उचित समझते हैं। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक लाला की पत्नी (नातायत) भागू थी तथा अपीलान्ट के पिता वाला भागू के साथ बाकड़ा के रूप में आये थे तथा लाला एवं भागू के नुत्फे से उत्पन्न पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल है। इस तथ्य पर दोनों पक्ष सहमत हैं। विवाद अब इस बात का है कि वादी द्वारा सर्वप्रथम तो गायरी समाज की परम्परा अनुसार गेलड पुत्र का हक होना बताता है तथा दूसरा उसके द्वारा यह भी कथन किया गया है स्वर्गीय लाला जी ने दिनांक 28—05—1975 को वाला के पक्ष में वसीयत निष्पादित की, जिससे उसका लाला की सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा है। अर्थात प्रकरण में मूल विवाद जो है वह यह कि गायरी समाज में जाति परम्परा अनुसार लाला के गेलड पुत्र वाला का 1/2 हिस्सा बनता है अथवा नहीं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 में इन तथ्यों का विवेचन करते हुए सुस्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि गेलड पुत्र का अपनी माता के पति की सम्पत्ति में किसी प्रकार का हिस्सा होने का कोई विधिक आधार नहीं है, न ही गायरी समाज में ऐसी कोई परम्परा रही है। जैसाकि सुविदित है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम गायरी समाज पर भी लागू होता है तथा गायरी समाज अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं है, तद्नुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के कारण प्राकृतिक उत्तराधिकार के रूप में लाला का प्राकृतिक पुत्र वाला नहीं

रहता है एवं अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में कुछ भी कथन नहीं किया गया है, तद्नुसार लाला के प्राकृतिक उत्तराधिकार से वादीगण के पिता वाला को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस बाबत् अधिनस्थ न्यायलय के निर्णय को इस न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गयी है एवं तद्नुसार इस बिन्दु पर विवेचन की कोई उपादेयता नहीं है।

प्रकरण में मूल प्रश्न एवं आधारभूत तथा सारभूत विवेचन का यह तथ्य रहता है कि क्या दिनांक 28–05–1975 की वसीयत लाला द्वारा निष्पादित होकर वसीयती उत्तराधिकार से वाला लाला की सम्पत्ति में 1/2 हिस्से का अधिकारी बनता है अथवा नहीं। जब प्राकृतिक उत्तराधिकारी के विरूद्ध वसीयती उत्तराधिकारी द्वारा अपना हक अधिकार बताया जाता है तो उस वसीयत को प्रमाणित कराये जाने का दायित्व वसीयतकर्ता पर होता है। वकील अपीलान्ट द्वारा तनकी नंबर 1 के संबंध में वसीयती उत्तराधिकार के रूप में जो समस्त तथ्य वर्णित किये गये हैं उसमें प्रमुख तथ्य यह है कि रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा वसीयत की प्लीडिंग का खण्डन नहीं किया गया है तथा जिरह में भी इस बाबत् कुछ नहीं पूछा हैं। हम यहां पर यह विवेचन करना उचित समझते हैं कि वसीयती उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्तकर्ता को वसीयत प्रमाणित करने का दायित्व रहता है। वसीयत का खण्डन नहीं किये जाने के आधार पर वसीयत को प्रमाणित माने जाने का कोई आधार नहीं है। यहां पर स्पष्ट रूप से वसीयत अपंजीकृत है, तद्नुसार वसीयत को प्रमाणित कराने का दायित्व वादी/अपीलान्ट पर था। आश्चर्य जनक रूप से उक्त वसीयत के निष्पादन बाबत् विधि अनुसार किसी साक्ष्य के बयान नहीं करवाये हैं। इसके विपरीत रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी पर यह भार डाला है कि उन्होंने इस वसीयत का खण्डन नहीं किया है। किसी वाद को एवं विशेष रूप से वसीयती उत्तराधिकार के वाद में वाद को प्रमाणित करने का दायित्व वादी पर होता है। इस प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा यदि कोई खण्डन नहीं भी किया गया है तो भी इससे वसीयत को प्रमाणित माने जाने का कोई आधार नहीं है। यदि क्षण मात्र के लिए यह मान भी लिया जाये कि प्रतिवादी ने उक्त वसीयत पर सहमति दी है तो भी सहमति के आधार पर अधिकारों का सृजन नहीं होता है, बल्कि अधिकारों का सृजन विधि के अनुगमन में होता है। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट रूप से

प्रमाणित है कि उक्त वसीयत को साबित कराने का भार वादी/अपीलान्ट पर था, जिसके लिए उसके द्वारा कोई उपक्रम नहीं किया गया है तथा इसके विपरीत वसीयत का विशिष्ट रूप से खण्डन नहीं किये जाने के आधार पर वसीयत को प्रमाणित माने जाने का अभिकथन करता है, जो कदापि विधिक नहीं है। यह और भी प्रभावी हो जाता है जब वसीयत की content स्वयं में संदेहास्पद हो तथा वसीयत के निष्पादन के समय जो आराजी नंबर ही अस्तित्व नहीं हो, उस आराजी का वसीयत में अंकन पाया जाये तो उक्त वसीयत स्वतः ही प्रथम दृष्टया संदेहास्पद हो जाती है। किसी दस्तावेज में वर्णित नंबर जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थे, बल्कि भू–प्रबन्ध के बाद जो आराजी बने वह वर्ष 1975 में अंकित किये गये हैं। प्रथम दृष्टया वसीयत में पश्चातवर्ती नंबरों का अंकन किया जाना, जबकि वसीयत वादी/अपीलान्ट के कब्जे में है तथा उसमें यदि पश्चातवर्ती आराजी अंकित है तो वह कब और किस प्रकार अंकित किये गये यह बताने का दायित्व वादी/अपीलान्ट पर था। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि 1/3 हिस्सा वसीयत में उसे दिया गया, 1/3 हिस्सा मृतक लाला ने अपने पास रखा तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट को दिया गया, फिर वादी 1/2 हिस्से के वाद का क्लेम क्यों करता है, यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लाला के 1/3 हिस्से में से (बकौल वादी) उसे 1/6 हिस्सा कैसे मिला व वह किस प्रकार अधिकारी है, यह भी स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया तो वसीयत प्रमाणित कराने का दायित्व वादी/अपीलान्ट पर था जो उसके द्वारा प्रमाणित नहीं करवायी गयी है। दूसरा वसीयत के संदिग्ध होने के कारण वादी के लिए यह लाजमी था कि वह प्राकृतिक उत्तराधिकार के विरूद्ध वसीयत को प्रमाणित करवाते, न कि अपने उक्त भार को प्रतिवादी पर आरोपित करते। तद्नुसार इस प्रकरण में तनकी नंबर 1 जो कि इस प्रकरण की मूल तनकी है, उसमें हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की जाना नहीं पाते हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीरें एस.सी.सी. 2003 (1) पेज 161, डब्ल्यू.एल.सी. 2000 (4) पेज 357 एवं पेज 241 प्रस्तुत की है, जिनमें यह वर्णित किया गया है कि जहां पर अभिकथन नहीं किये गये हैं अथवा साक्ष्य नहीं हो तो दस्तावेज वादी के अभिकथनों के आधार पर स्वीकृत माने जायेंगे। उपरोक्त किसी भी प्रकरण में वसीयती उत्तराधिकार के संबंध में

कोई अभिकथन नहीं है, क्योंकि वसीयती उत्तराधिकार प्रमाणित किये जाने के लिए वसीयत अधिकार ग्रहिता को वसीयत प्रमाणित करवानी होती है। यदि प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया है तो भी वसीयत अधिकारी ग्रहिता की वसीयत को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकरण में यदि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के जवाबदावे को पढ़ा जावे तो भी समस्त पठन से वसीयत की स्वीकारोक्ति नहीं है। तद्नुसार उक्त नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीरे ए.आई.आर. 2001 आध्रप्रदेश पेज 407 यह अभिकथन किया गया है कि वसीयतकर्ता के इरादे व उद्देश्य को देखा जाना चाहिए। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया ही वसीयत का निष्पादन होना प्रमाणित नहीं करवाया गया है तथा वसीयत में वर्णित आराजी नंबरों से वसीयत संदिग्ध प्रकट होती है। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीरें ए.आई.आर. 1990 केरला पेज 226, ए.आई.आर. 2002 सुप्रिम कोर्ट पेज 264, ए.आई.आर. 1979 सुप्रिम कोर्ट पेज 1700, सी.एल.जे. 2018 (1) पेज 73, डब्ल्यू.एल.सी. 2009 (1) पेज 262, डब्ल्यू.एल.सी. 2009 (1) पेज 733, डब्ल्यू.एल.सी. 2008 (1) सुप्रिम कोर्ट पेज 194, ए.आई.आर. 2009 सुप्रिम कोर्ट पेज 2462, एस.सी.सी. 2016 (1) पेज 277, ए.आई.आर. 2017 सुप्रिम कोर्ट पेज 3995 एवं एस.सी.सी. 2017 (1) पेज 268 प्रस्तुत की, जो आदेश 8 नियम 2, 3, 5 के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं हैं, क्योंकि यह सामान्य अभिकथनों की स्वीकृति बाबत् नहीं है, बल्कि वसीयती उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए वादी के भार सिद्ध तथ्यों को प्रमाणित करने का दायित्व वादी/अपीलान्ट पर था, जिस पर वादी/अपीलान्ट पूरी तरह निष्क्रिय रहा है तथा वसीयत को प्रमाणित कराने के लिए उसके द्वारा कोई उपक्रम नहीं किये गये हैं। तद्नुसार उक्त नजीरें भी इस प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से चस्पा नहीं होती है।

प्रकरण में हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट की कमियों व विशिष्ट खण्डन के अभाव के आधार पर अपने वाद (वसीयती उत्तराधिकार) को प्रमाणित कराना चाहिए है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वसीयती उत्तराधिकार प्राप्त करने के

लिए वादी के वाद को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, न कि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट की कमियों के आधार पर अपने वसीयती उत्तराधिकार को प्रमाणित न्यायालय से मनवा लिया जाये। प्रकरण में मूल तनकी नंबर 1 थी तथा तनकी नंबर 2 में जब वादी/अपीलान्ट की वसीयत ही प्रमाणित नहीं है तो प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा किये गये विक्रय से वादी/अपीलान्ट के अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है तथा विभाजन की कोई उपादेयता नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जिन वसीयतों का जिक्र किया गया है यदि उन वसीयतों को प्रमाणित न भी माना जाये तो भी उससे वादी/अपीलान्ट को कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्राकृतिक उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरकरण खोले गये हैं तथा वादी/अपीलान्ट ने अपनी वसीयत को सिद्ध कराने के लिए कोई विधिक उपक्रम नहीं किये हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक उत्तराधिकार के स्थान पर वसीयती उत्तराधिकार तय करवाने के लिए वसीयत ग्रहिता पर वसीयत को प्रमाणित कराने का दायित्व रहता है, वह इस उत्तरदायित्व को किसी अन्य पर आरोपित नहीं कर सकता।

प्रकरण में जहां तक कब्जे का प्रश्न है, रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध (वादी/अपीलान्ट) का कब्जा होने बाबत् कोई प्रभावी साक्ष्य नहीं है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 6 के संबंध में किये गये विवेचन में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–09–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

नाथू पिता वालाजी गायरी, निवासी कालारोही, पंचायत सीसारमा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **बंशीलाल पिता लालाजी गायरी, नि. कालारोही, पंचायत सीसारमा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं........**180/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**..... ....**गिर्वा**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**18**...............माह..............**09**............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**16**....माह........**07**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कैलाश नागदा**.......मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री लोकेश मेनारिया**...........

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि....... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–09–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**16**......माह.......**07**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।